

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-मऊ

सेवा में

1. जिलाधिकारी महोदय, मऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, मऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।
4. अपर जिलाधिकारी, मऊ।
5. नगर मजिस्ट्रेट, मऊ।
6. उप कृषि निदेशक, मऊ।
7. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मऊ।
8. जिला विकास अधिकारी, मऊ।
9. जिला पंचायतवाज अधिकारी, मऊ।
10. जिला छात्र एवं विपरण अधिकारी, मऊ।
11. जिला पूर्ति अधिकारी, मऊ।
12. प्रभागीय वनधिकारी, मऊ।
13. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मऊ।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ।
15. जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, मऊ।
16. उप जिलाधिकारी, मऊ।
17. जिला कृषि अधिकारी, मऊ।
18. जिला सूचना अधिकारी, मऊ।
19. अधिक्षण अभियन्ता, विद्युत निगम मऊ, मऊ।
20. अभिरक्षणी अधिकारी, नगरपालिका, मऊ।
21. अभिरक्षणी अभियन्ता, जल निगम, मऊ।
22. अभिरक्षणी अभियन्ता, राष्ट्रीय बलकुप, मऊ।
23. रेलवे स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, मऊ।
24. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम, मऊ।
25. महाप्रबन्धक दूर संचार विभाग, मऊ।
26. आरटीओओ कार्यालय, मऊ।
27. जिला क्रिडा अधिकारी, मऊ।
28. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मऊ।
29. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, मऊ।
30. सभसा अधीक्षक/ प्रतियोगी, सामुदायिक/प्रारम्भिक, मऊ।
31. जिला होमोपैथिक अधिकारी, मऊ।
32. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, मऊ।
33. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएनएम, मऊ।
34. सभसा कार्यालयप्रबन्धक।
35. सभसा दैनिक समाचार पत्र, मऊ।

पत्रांक- काठमु/चि0ज0/तानि/प्रको0/2019-20/111-2020

दिनांक- 13.04.2020

विषय- जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सभसा सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में घुसपान और अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सहनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ काठमु, लखनऊ को पत्रांक संख्या- राज्य तम्बाकू निबंधन प्रकोष्ठ/2019-20/5365 दिनांक 18.03.2020 के क्रम में सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव उजबो शासन के शासननिदेश-788/तीन-18-08 (9)18 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रदेश के सभसा शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः

निम्नलिखित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी सार्वजनिक स्वास्थ्यमंत्री उद्योग द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा समस्त भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को सम्भीष्टता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश एवं हेल्थआडवन् न०- 180018005148 जारी किया गया है।

चुंकि प्रदेश में लगभग 20.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर-उधर धूम्रपान से कोरोना वायरस के फैलने में सहायक हो सकता है, एवं स्वास्थ्यमंत्री स्वास्थ्य द्वारा बहुबिदेशीय साथ भारत विज्ञान व अन्य विचारियों के संकेतान हेतु भी तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन बंदी बाधा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप प्रेषित किर्ति को देखते हुए तत्काल सी0जी0टी0पी0ए0-2019 के नियमों/उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान मसाला खाकर घेउ-तरे धूम्रपान पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य
संयोजक, जयपुर

राजदीप
मुख्य विधिकरता अधिकारी
जनपद-मऊ
तददिनांकित

पत्रांक- कसगु/वि0आ/उपनि0प्र0को/2019-20/

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, एमएचएचएच उद्योग लखनऊ।
2. महानिदेशक, विधिकरता एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उद्योग, लखनऊ।
3. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सचिव उद्योग, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण आयोग, मऊ।
5. सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्र मऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उ जय स्वास्थ्य के हित में उपरोक्त सूचना अपने सम्बन्धित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

मुख्य विधिकरता अधिकारी
जनपद-मऊ